जनजाति क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का एक अध्ययन

डॉ॰ भोलू सिंह मर्सकोल (शासकीय महाविद्यालय भैंसदेही जिला बैतूल) मध्यप्रदेश

प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक शिक्षा एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षक की भूमिका पर विचार किया गया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। जिसके द्वारा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का विकास होता है उसके व्यवहार तथा विचारों पर निरंतर परिवर्तन परिमार्जन एवं परिवर्द्धन होता है और वहां अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को समझने उसे सुरक्षित रखने और उसकी विकास करने में समर्थ होता है।

प्रस्तावना. हाल के वर्षों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व की ओर शिक्षा विशेषज्ञों के अध्यान आदि का अधिक आकर्षित हुआ है। यद्यपि आरंभ में पूर्व प्राथमिक स्कूलों की स्थापना सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई थी जैसे कामगार माताओं के बच्चों की देखभाल के लिए अथवा शहरी बड़े परिवारों के बच्चों के लिए उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था करने के लिए किंतु आधुनिक शोध कार्यों से यह स्पष्ट हो गया हैए कि बालक के शारीरिक संवेगात्मक और बौद्धिक विकास के लिए 3 से 10 वर्ष की आयु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां भी देखा गया है कि जो बालक पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में रह चुका है। वहां प्राथमिक स्तर पर अच्छी प्रगति करता हैए जिसस की अपव्यय और अवरोधन कम होता हैए इसके साथ ही और संतोषजनक पारिवारिक पृष्ठभूमि के बालकों के लिए विशेष रूप से पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बल देने की आधुनिक प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। स्वतंत्रता के पूर्व इस दिशा में बहुत कम ध्यान दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा की स्थिति के संदर्भ में सर्वप्रथम सार्जेंट प्रतिवेदन 1944 मे 3 से 6 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं की दिशा से संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए गए तथा इसे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य इसे 6 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं में अच्छे स्वास्थ्य संस्कारों का विकास और व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन की क्षमताओं जैसे वस्त्र पहनना भोजन करना सफाई अपनी आयु वर्ग के बच्चों से प्रेम.भाव सामान्य शिष्टाचार के आदतों को विकसित करना होता है। साथ ही या आगे की औपचारिक शिक्षा के लिए भी बच्चों को तैयार करती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए विश्व में एवं स्वयं अपने ही देश में अनेक विधियां प्रचलित हैं। जैसे मांटेसरी किंडर गार्डन नर्सरी आदि। इसी प्रकार बाल भवन शिशु मंदिर बालवाड़ी आदि में भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है किंतु अधिकांश स्थानों में इस शिक्षा की दशा और संतोषजनक है। उपर्युक्त स्थान आवश्यक शिक्षा सामग्री शिशु साहित्य तथा प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बढ़ते हुए महत्व तथा आवश्यकताओं को देखते हुए कोठारी आयोग ने शिक्षा संरचना में पूर्व प्राथमिकता शिक्षा को भी स्थान दिया एवं सुझाव दिया है कि सरकार को शिक्षा के इस पक्ष की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए तथा उपयुक्त अनुदान द्वारा इन शिक्षा संस्थानों को सहायता देना चाहिए उन विराम किंतु अन्य राज्यों के साथ-साथ मध्यप्रदेश में भी इस क्षेत्र में भी आवश्यक प्रगति नहीं हो सकी।

विद्यालय एवं नामांकन

मध्य प्रदेश में पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए शिशु शालाओं के अतिरिक्त प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा लगाने की व्यवस्था है। किंतु यहां पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विकास देश के अन्य भागों की अपेक्षा कुछ मंद गति से वह। तालिका से पूर्व प्राथमिक शिक्षा संस्थानों तथा नामांकन की प्रगति स्पष्ट होती है।

पूर्व प्राथमिक विद्यालय की संख्या तथा नामांकन

वर्ष	विद्यालय	लड़के	लड़कियां	कुल
1956 .1957	70	2976	2487	5463
1970. 1978	426	18000	14010	32010
1999.2000	1917	89202	6664445	155645

जैसे की तालिका से स्पष्ट है लगभग 43 वर्षों से विद्यालय के संख्या 27 बढ़ती है और विद्यार्थियों की संख्या 28 गुना से अधिक बढ़ती हैं। किंतु लड़कियों का नामांकन लड़कों से कम रहा है। इसका मुख्य कारण लड़कों की तुलना में लड़कियों की शिक्षा को कम महत्व देना रहा है। साथ ही घर के कार्यों में उनकी उपयोगिता भी इसी आयु से आरंभ हो जाती है। फिर भी वर्ष 2000 तक राज्य में 4030 शिशु केंद्र खोले जा चुके थे। जिसे बालिकाएं केंद्र खोले जा चुके थे। जिनसे बालिकाएं भी लाभान्वित हुई।

शिक्षा 1956 1957 में राज्य के पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में कुल 333 शिक्षक तथा शिक्षिकाएं थी जिनकी संख्या 1957 1976 में 730 तथा 1999 2000 में लगभग 36000 हो गई। जबकि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में तथा नामांकन में लगभग 27 तथा 28 गुनी वृद्धि हुई शिक्षकों की संख्या में लगभग 11 गुनी वृद्धि हुई जोकि बहुत कम है। आरंभ से ही इन विद्यालयों में शिक्षिकाएं अधिक संख्या में थी। इस स्तर पर शिक्षक की आवश्यकता को देखते हुए यहां अत्यंत उपयुक्त है। विश्व की लगभग सभी देशों में पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का कार्य में महिलाएं ही करती है। 1965 .66 में जबकि कुल भारत में भी इन स्कूलों में शिक्षिकाएं 90% थी। 1999 2000मैं लगभग 95% हो गई। नामांकन की वृद्धि के साथ-साथ शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए तथा भविष्य में शिक्षकों की बची हुई आवश्यकता को दृष्टि में रखकर अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की आवश्यकता है।

1950 में लागू भारत के संविधान की धारा 45 में संपूर्ण देश के 14 वर्ष पर्यंत आयु के सभी बालक बालिकाओं के लिए 1960 तक सार्वजनिक एवं निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था। किंतु 1955 1956 तक देश के 6 से 11 वर्ष आयु के 55.5% बच्चों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकी। इसी प्रकार विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में जहां की इस स्तर पर बालक बालिकाओं का नामांकन लगभग प्रतिशत था भारत अत्यंत पिछड़ा था। पूर्ण गठन के समय मध्य प्रदेश भारत की ही पिछड़े राज्यों में एक था और दुर्भाग्य से आज भी है। यहां उस समय 6 से 11 वर्ष आयु के 45.9% बच्चे प्राथमिक विद्यालय में थे अर्थात 52.1% बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का कार्य शेष था।

यद्यपि शासन द्वारा निर्धारित शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा को आधार माना गया था तथा तीसरी योजना के अंतर्गत यही स्थिति रही राज्य में बुनियादी विद्यालयों में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो सकी 1956 1957 की 1938 बुनियादी विद्यालय 1964 1965 में 2162 हो गई अर्थात 9 वर्षों की में केवल 524 विद्यालय बुनियादी बनाया जा सके। बुनियादी शिक्षा की जांच समिति के प्रतिवेदन 1956 में के अनुसार बुनियादी विद्यालय के प्रति जनता की अरुचि का एक कारण यह था कि प्रशासक वर्ग ने उनकी स्थापना की और विशेष रुचि प्रदर्शित नहीं की दूसरे इनके अपेक्षित एवं आशा जनक परिणाम भी नहीं निकले। संभवत इसीलिए कोठारी आयोग ने बुनियादी शिक्षा को किसी भिन्न प्रकार की शिक्षा ना मानकर संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को ही बुनियादी शिक्षा कहा। तत्पश्चात अलग से बुनियादी विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता नहीं समझी गई बल्कि विद्वान बुनियादी विद्यालय भी समाप्त हो गए अथवा सामान्य विद्यालय में परिणित हो गए।

मध्य प्रदेश मुख्य रूप से गांव का प्रदेश है उस समय यहां के कुल 77090 गांव में 26712 गांव ऐसे थे उमराव जिनकी जनसंख्या 200 से भी कम थी। 1967 68 में किए यह अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में 14894 अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता थी पूर्णविराम परंतु 1960 1961 तक 5000 या उससे अधिक आबादी वाले गांव में कुल 6798 स्कूल की स्थापना की जा सकी। फिर भी 1965 में प्रति 1209 व्यक्तियों पर एक स्कूल था। और 1977 1978 में प्रति 833 जनसंख्या पर एक शाला हो गई।

आरंभ में राज्य में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात एक अनुपात 6 तथा इन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात एक अनुपात 16 का था। इससे ऐसा आभास होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक विद्यालय थे वस्तुतः स्थिति यह थी और अब भी है कि गांव छोटे-छोटे हैं तथा दूर-दूर बसे हुए हैं इसीलिए कई गांव में यदि स्कूल है अभी तो उनके विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। इसलिए एक और तो भी स्कूल काफी समय वह सत्य है दूसरे और बहुत से ऐसे गांव रहेगा जाते हैं जिनमें स्कूल नहीं है संभवत इसी समस्या को दृष्टि में रखकर राज्य में उप शालाओं की योजना आरंभ की गई 300 कम आबादी वाले गांवों में जहां प्राथमिक शाला नहीं हो खोली जा सकती पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपर शालाओं की योजना आरंभ की गई जिनमें 1 से 3 कक्षाएं संचालित की गई तथा स्थानीय महिलाएं अथवा पुरुष को ₹100 मानदेय पर शिक्षक नियुक्त किया गया।

1979 में राज्य में लगभग 3100 लाइन थी तथा शिक्षकों का मानदेय ₹150 कर दिया गया। 1962 1997 में आठवीं योजना काल में 2100 नई उपशालाये खोली गई।

निष्कर्ष यह अध्ययन जनजाति क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का एक छोटा सा अध्ययन है जो कि प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए प्रथम सोपान हैं बालकों के पैदल चलकर पहुंचते ही सीमा के अंदर प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना अल्पविराम अर्थात बालक के घर के लगभग 1:30 किलोमीटर दूरी तक प्राथमिक तथा 5 किलोमीटर की दूरी तक पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई।

संदर्भ ग्रंथ

1ए काबरा ण्यूए आरए नई शिक्षा नीति क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन कृष्णा एंड ब्रदर्स अजमेर 1987

2ए श्रीवास्तव केए एनए एलए शिक्षा प्रशासन सुशील प्रकाशनए पुरानी मंडी अजमेर ए 1986

3ए अग्निहोत्री आरए- आधुनिक भारतीय शिक्षा समस्या और समाधान राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर 1987

4ए आदिवासी विकास आयोग- वार्षिक प्रतिवेदन आदिवासी विकास आयोग नई दिल्ली 1992

5ए मिश्रा और लक्ष्मी- मध्य प्रदेश में शिक्षा मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल सन 2000

6ए गुप्ता एन एल- शिक्षा नीति कृष्णा एंड ब्रदर्स अजमेर सन 1988

7ए आदिवासी विकास विभाग . आदिवासियों हेतु संविधान में अवस्थाएं गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली 1978